

फर्द अहकाम  
(नियम-26)

अज् अदालत उपखण्ड अधिकारी, जायल (नागौर)

वादीगण 21/12/18

बनाम

प्रतिवादीगण 21/12/18

किस्म प्रकरण : राजस्व वाद

राजस्व वाद सं. 115/2018

दिनांक	हुकम या कार्यवाही इनिशियल जज	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुये।
11.9.18	यह वाद वादी के अधिवक्ता श्री 21/12/18 को पत्रावली ने उपस्थित होकर प्रतिवादीगणों के विरुद्ध राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 53.66 के तहत पेश किया। वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर वादीगण को जरिये समन् तलब किया जावे। पत्रावली दिनांक 31.10.18 को पेश हो।	
31.10.18	पत्रावली न्याय आप के हाए रिजिस्ट्र 2012 के फर्दवात पत्रावली प.0.सा. कुत्रव मार्ग के प्रस्ताव है प्रतिवादी सं.02 ने उनाय पत्रावली घाते कमीत वादी को डिलार्ड गर्ड पत्रावली दि.26.12.18 को पेश हो।	
6.12.18	पक्षकार/पक्षकारान के अधिवक्ता पीठासीन अधिकारी की मितिग में/भ्रमण अवकाश पर गये हुए है, इसलिए प्रकरण उनके समक्ष दिनांक. 4-2-19 को प्रस्तुत करें।	
4.2.19	पक्षकार/पक्षकारान के अधिवक्ता पीठासीन अधिकारी की मितिग में/भ्रमण अवकाश पर गये हुए है, इसलिए प्रकरण उनके समक्ष दिनांक. 15.2.19 को प्रस्तुत करें।	
15.2.19	पक्षकार/पक्षकारान के अधिवक्ता पीठासीन अधिकारी की मितिग में/भ्रमण अवकाश पर गये हुए है, इसलिए प्रकरण उनके समक्ष दिनांक 27.5.19 को प्रस्तुत करें।	

खातिब किया जाना है  
रजि. सं. 115/2018

